मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १५ सन् २०२४

मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, २०२४

मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, २००४ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, २०२४ है.

(२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ११ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, २००४ (क्रमांक ६ सन् २००४) की धारा ११ में,-

(एक) उपधारा (५) में, निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"परंतु इस धारा के अधीन अधिहरण का कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कलेक्टर द्वारा अभिगृहीत किए गए वाहन, गौवंश और गौ-मांस के अधिहरण के लिए कार्यवाही प्रारंभ करने के संबंध में, विहित प्ररूप में कोई संसूचना, उस अपराध जिसके मद्दे अभिग्रहण किया गया है, पर विचारण की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को न भेज दी जाए.

(दो) उपधारा (५) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:-

"(६) इस अधिनियम या तत्तसमय प्रवृत किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, धारा ४, ५, ६, ६-क एवं ६-ख के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध के, जिसके मद्दे ऐसा अभिग्रहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय, अभिगृहीत वाहन, गौवंश और गौ-मांस के अधिहरण करने के लिए कार्यवाहियों को प्रारंभ करने के बारे में, उपरोक्त उपधारा (५) के अधीन कलेक्टर की ओर से उसे प्राप्त हुई किसी संसूचना के पश्चात् अभिगृहीत किए गए वाहन, गौवंश और गौ-मांस के व्ययन, अभिरक्षा आदि के बारे में कोई भी आदेश नहीं करेगा.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

गौवंश या गौ-मांस को ले जा रहे यानों के अधिहरण (जब्ती) के उपबंध में परिवर्तन लाने के लिए, वर्तमान उपबंध यह है कि ऐसा अधिहरण न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा किया जाता है तथा तत्पश्चात् ऐसे अभिगृहीत किए गए यान उक्त न्यायालय द्वारा दिए जाते हैं. अतएव, मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, २००४ (क्रमांक ६ सन् २००४) की धारा ११ की उपधारा (५) में संशोधन करने हेतु यह उपबंध प्रस्तावित किया गया है कि इस धारा के अधीन अधिहरण का कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कलेक्टर अधिगृहीत वाहन, गौवंश और गौ-मांस के अधिहरण के लिए कार्यवाही के प्रारंभ करने के संबंध में विहित प्ररूप में संसूचना जारी नहीं कर देता. अतएव, मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, २००४ (क्रमांक ६ सन् २००४) में तद्नुसार यथोचित संशोधन किया जाना है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : १ जुलाई, २०२४.

लखन पटेल
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, २००४ (क्रमांक ६ सन् २००४) से उद्धरण.

* * * *

धारा-११ उपधारा (५) धारा ४, ५, ६, ६-क और ६-ख के किसी उल्लंघन की दशा में, पुलिस किसी यान, गौवंश और गौमांस को अभिगृहित करने के लिए सशक्त होगी और जिला मजिस्ट्रेट ऐसे यानों, गौवंश और गौमांस का ऐसी रीति में अधिहरण करेगा जैसी कि विहित की जाए.

* * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.